अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 185/2024

वादीगण–

1. रामनिवास पुत्र भिंयाराम
2. पेमाराम शर्मा पुत्र भिंयाराम
3. रामकुंवार पुत्र भिंयाराम
4. रामेश्वर लाल पुत्र भिंयाराम

जातियान–ब्राहमण, निवासी दुगोली तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भिंयाराम पुत्र रूपाराम जातियान–ब्रहामण निवासी दुगोली, जायल।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्दसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवराज रिणवा
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवराज रिणवा प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दुगोली में खाता संख्या 608 के खेत खसरा नंबर 589 रकबा 8.4174 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहाखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबाली जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 589 रकबा 8.4174 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टैयर उतरी पश्चिमी भाग दानपात्र के साथ सलग्न नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। जो कि दानपात्र में भी नजरीनक्शानुसार ही अंकन किया गया हुआ है।
2. वादी संख्या 2 प्रेमाराम शर्मा के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 589 रकबा 8.4174 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टैयर उतरी पूर्व भाग

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दानपात्र के साथ सलग्न नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। जो कि दानपात्र में भी नजरीनक्शानुसार ही अंकन किया गया हुआ है।

3. वादी संख्या 3 रामकुंवार के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 589 रकबा 8.4174 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टैयर दक्षिणी पश्चिमी भाग दानपात्र के साथ सलग्न नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। जो कि दानपात्र में भी नजरीनक्शानुसार ही अंकन किया गया हुआ है।
4. वादी संख्या 4 रामेश्वरलाल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 589 रकबा 8.4174 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टैयर दक्षिणी पश्चिमी भाग दानपात्र के साथ सलग्न नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। जो कि दानपात्र में भी नजरीनक्शानुसार ही अंकन किया गया हुआ है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरीनक्शा में आवागमन का रास्ता जो वर्तमान में दक्षिण की तरफ स्थित गांव दुगोली तव गांव राजोद की कांकड़ सीमा पर से होकर स्थित है जो नजरीनक्शा वाद पत्र का अभिन्न भाग है में दर्शित है एवं शेष भूमि रकबा 1.9426 हैक्टैयर प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत रखी गई है। उसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है।
6. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अधिकारी)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner